भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4429 का उत्तर

पुराने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4429. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुराने रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पुनर्विकास योजनाओं के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) क्या हाल ही में शुरू की गई उन्नयन परियोजनाएँ समय पर और बजट के भीतर पूरी हो रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) व्यस्त जंक्शनों पर स्वच्छता, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान स्टेशन पुनर्विकास कार्यों को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/उन्नयन निरन्तर और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/

आधुनिकीकरण कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठक व्यवस्था, जल-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉन्कोर्स की व्यवस्था
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप की व्यवस्था
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर की व्यवस्था
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंड स्केपिंग आदि की व्यवस्था।

योजना आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं यथा व्यवहार्य दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना करती है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है। वर्तमान में, 105 स्टेशनों पर चरण-I के निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

अंबिकापुर, आमगांव, अयोध्या धाम, बागलकोट, बैजनाथ पपरोला, बलरामपुर, बरेली शहर, बेगमपेट, भानुप्रतापपुर, भिलाई, बिजनोर, बूंदी, चंदा फोर्ट, चिदम्बरम, चिंचपोकली, चिरयिनकीज़, कटक, डाकोर, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धारवाड़, धुले, डोंगरगढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर शेखावटी, गडग, गोगामेरी, गोकक रोड, गोला गोकरनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंद गढ़, गोविंदपुरी, गोविंदपुर रोड, हैबरगांव, हाथरस सिटी, हापा, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जोयचंदी पहाड़, कल्याणी घोषपारा, कनालूस जं., करमसद, करीमनगर, कटनी दक्षिण, केडगांव, कोसांबा जं., कुलीत्तुराई, लासलगांव, लिंबडी, लोनंद जं., माहे, महुवा, मैलानी, मंडल गढ़, मंडावरमहवा रोड, मंडी डबवाली, मन्नारगुडी, माटुंगा, मीठापुर, मोरबी, मुनिराबाद, मुर्तिजापुर जंक्शन, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, ओखा, ओरछा, पालीताना, पानागढ़, परेल, पीरपैंती, पोखरायण, पोलूर, राजगढ़, राजमहल, राजुला जंक्शन, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जंक्शन, सामाखियाली, सामलपट्टी, शंकरपुर, सावदा, सिवनी, शहाद, शाजापुर, श्रीधाम, सिद्धार्थ नगर, सीहोर जंक्शन, श्रीरंगम, सेंट थॉमस माउंट, सुल्लुरपेटा, सुरैमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, थावे, तिरुवन्नामलाई, उझानी, उरकुरा, उतरन, वडकारा, वडाला रोड, वृद्धाचलम जंक्शन, वारंगल।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹12,118 करोड़ का निधि आवंटन किया गया है और 2025-26 के दौरान (जुलाई, 2025 तक) ₹3,701 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

<u>स्टेशनों पर सफ़ाई</u>

सफ़ाई एक सतत प्रक्रिया है और स्टेशन परिसर को उचित रूप से अनुरक्षित और स्वच्छ स्थिति में रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। स्टेशनों पर सफ़ाई में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **प्रमुख स्टेशनों पर एकीकृत हाउसकीपिंग दृष्टिकोण,**
- **यंत्रीकृत सफ़ाई की व्यवस्था और जैव-निम्नीकरणीय व अजैव-निम्नीकरणीय कचरे को अलग करने के लिए विभिन्न स्थानों पर दो-डिब्बे वाले कचरापात्र उपलब्ध कराना।**
- **प्रमुख स्टेशनों पर कचरा बीनने और/या कचरा निपटान के ठेके दिए गए हैं।**
- **सभी यात्री डिब्बों में जैव-शौचालयों के संस्थापन द्वारा रेल पटरियों पर मल गिरने से रोकना, जिससे रेलवे स्टेशनों की सफ़ाई सुनिश्चित हो सके।**
- **प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की स्थापना।**

व्यस्त जंक्शनों सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता, व्यवहार्यता, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता आदि के अनुसार किए जाते हैं।

<u>स्टेशनों पर सुरक्षा उपाय</u>

स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- **तत्काल सहायता के लिए, यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।**

- यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं।
- चोरी, छीनाझपटी, ज़हरखुरानी आदि से बचने के लिए यात्रियों को जागरूक करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएँ की जाती हैं।
- यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाती है।
- रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्तों की अध्यक्षता में रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।
- भीड़ का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेल पुलिस/राज्य पुलिस के साथ समन्वय किया जाता है।
- रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और तदनुसार, संवेदनशील स्थानों पर यथासंभव राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है ताकि अति व्यस्त अवधि के दौरान भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।
- अति व्यस्त अवधि के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए, राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों को ऊपरी पैदल पुलों पर तैनात किया जाता है।
- अपराधियों की जानकारी एकत्र करने के लिए आसूचना इकाइयाँ (अपराध आसूचना शाखा (सीआईबी)/विशेष आसूचना शाखा (एसआईबी)) और सादे

कपड़ों में कर्मचारियों को तैनात किया जाता है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और गाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसमें दमकल, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति आदि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति उपयोगिताओं का स्थानांतरण (पानी/सीवेज लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइनों, बिजली/सिगनल केबल आदि सहित), अतिलंघन, यात्रियों के आवागमन को बाधित किए बिना गाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट कार्यों के कारण गति सीमाएँ आदि जैसी ब्राउनफील्ड चुनौतियों के कारण प्रभावित होती है और ये कारक समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर जैसे मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड में मौजूदा स्टेशनों के पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं/स्टेशनों की सुविधाओं में वृद्धि आदि के लिए माननीय संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के प्रस्ताव/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनका कोई सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जाँच की जाती है तथा व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

******